पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सियाराम सिन्हा

बनाम

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य

2012 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.22152

12 सितंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेन्दु सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच के बाद पारित दंड आदेश रद्द किया जा सकता है या नहीं?

हेडनोट्स

सेवा कानून---विभागीय कार्यवाही---सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियमन, 1976---विनियमन 3(1), 6(5), 4(एफ)---अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए गए दंड आदेश को रद्द करने के लिए रिट याचिका जिसमें तीन साल की अवधि के लिए वेतन के समयमान में दो चरणों की कटौती के साथ आगे निर्देश दिया गया था कि सीएसओ (याचिकाकर्ता) ऐसी कटौती की अवधि और ऐसी अवधि की समाप्ति के दौरान वेतन में वृद्धि अर्जित नहीं करेगा---याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि जब वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, पटना की प्रबंध समिति के सदस्यों में से एक था और उक्त सहकारी समिति में उसके द्वारा जुटाई गई सार्वजनिक जमा राशि में से, उसने बैंक जमा को उक्त सहकारी समिति में स्थानांतरित कर दिया, जबकि वह बैंक बोरिंग रोड शाखा, पटना में समय जमा विभाग में काम कर रहा था और उक्त सहकारी समिति से कमीशन अर्जित कर रहा था।

निर्णय: याचिकाकर्ता द्वारा इस बात से इनकार करने के लिए कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई है कि उसके संयुक्त खाते में राशि हस्तांतरित नहीं की गई थी---याचिकाकर्ता को जांच के दौरान कोई अवसर देने से इनकार नहीं किया गया है---उसके द्वारा वांछित दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया गया था और इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता को उसकी इच्छानुसार सुनवाई का कोई उचित अवसर

नहीं दिया गया था---दंड आदेश में कोई त्रुटि नहीं है---रिट खारिज की जाती है। (पैरा- 3, 4, 12, 13)

न्याय दृष्टान्त

उपलब्ध नहीं

अधिनियमों की सूची

भारतीय संविधान; सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियमन, 1976

मुख्य शब्दों की सूची

अनुशासनात्मक कार्यवाही; विभागीय जांच; आरोप ज्ञापन; आरोप के समर्थन में साक्ष्य; दस्तावेजों की सूची की आपूर्ति न करना।

प्रकरण से उत्पन्न

अपीलीय प्राधिकारी के दिनांक 11.02.2008 के आदेश पत्र संख्या 20-DAW-2007-08-552 के अनुसार जिसके तहत अनुशासनात्मक प्राधिकारी के दिनांक 6.10.2007 के निष्कर्षों और अंतिम आदेश की अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री नरेंद्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री अजय कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री अजीत कुमार, अधिवक्ता; सुश्री दिलकश खान, अधिवक्ता; श्री प्रवीण कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2012 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 22152

==========

सियाराम सिन्हा, पिता- श्री योगेंद्र सिन्हा, निवासी-वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, अलका निवास, लक्ष्मी नर्सिंग होम के पीछे, आनंदपुरी मार्ग, पटना, वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, गैर-व्यावसायिक शाखा, फ्रेजर रोड, पटना में तैनात हैं

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के माध्यम से, चंद्रमुखी नरीमन पॉइंट, मुंबई
2. क्षेत्रीय प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मौर्य लोक परिसर, दूसरी मंजिल, पटना
3. क्षेत्रीय प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मौर्य लोक परिसर, पटना
4. सहकारी क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पटना, अपने सचिव के माध्यम से बोरिंग रोड, पटना

... ...उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री नरेंद्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अजय कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री अजीत कुमार, अधिवक्ता
सुश्री दिलकाश खान, अधिवक्ता
श्री प्रवीण कुमार, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेन्दु सिंह

मौखिक निर्णय

दिनांक : 12-09-2024

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार शर्मा और श्री अजय कुमार सिन्हा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अजीत कुमार, सुश्री दिलकश खान और श्री प्रवीण कुमार ने उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वकीलों को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ रिट याचिका के कंडिका सं.1 में निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की हैः-

(I) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए जिसमें जांच रिपोर्ट को विकृत घोषित करने के लिए परमादेश की प्रकृति का एक रिट और उपरोक्त जांच रिपोर्ट को रद्द करने के लिए।

(ii) अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निष्कर्षों और अंतिम आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, पी. सी. सिन्हा, क्षेत्रीय प्रबंधक, पटना, याचिकाकर्ता, सहायक प्रबंधक, शाखा कार्यालय, बोरिंग रोड, पटना के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के मामले में, जो पहले पाटलिपुत्र कॉलोनी शाखा में तैनात था, दिनांक सं.प्रो/डीएडब्ल्यू05-06/69 के अनुसार। जिसके तहत और जिसके तहत याचिकाकर्ता को निम्नलिखित सजा दी गई हैः.

"दो साल की अवधि के लिए वेतन के समय पैमाने में दो चरणों की कमी, आगे के निर्देश के साथ कि सी.एस.ओ. इस तरह की कमी की अवधि के दौरान वेतन में वृद्धि अर्जित नहीं करेगा और ऐसी अवधि की समाप्ति का प्रभाव भविष्य में उसके वेतन में वृद्धि को स्थगित करने पर पड़ेगा। .

(iii) अपीलीय प्राधिकरण के निष्कर्ष और अंतिम आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए पत्र सं.20-डीएडब्ल्यू-2007-08-552 दिनांक 11.02.2008 के माध्यम से जिसके तहत और जिसके तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकरण के दिनांक 6.10.2007 निष्कर्षों और अंतिम आदेश की पुष्टि की गई है।

(iv) याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों की पुनर्प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक (उत्तरदाता सं.3) को निर्देश जारी करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को आदेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए।

(v) किसी भी अन्य राहत/राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार पाया जाता है। "

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दंड आदेश दिनांक 06.10.2007 (अनुलग्नक 2) में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, जहां तक कि तीन साल की अवधि के लिए वेतन के समय पैमाने में दो चरणों में कमी की गई है, आगे के निर्देश के साथ कि सीएसओ (याचिकाकर्ता) अर्जित नहीं करेगा। इस तरह की कमी और ऐसी अवधि की समाप्ति के दौरान वेतन में वृद्धि का प्रभाव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एम्प्लॉइज (डिसिप्लिन एंड अपील) रेगुलेशन, 1976 के रेगुलेशन 4(एफ) के संदर्भ में उनके वेतन में भविष्य में वृद्धि को स्थगित करने पर पड़ेगा। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को अनुलग्नक I, के साथ अनुलग्नक 4 में निहित दिनांक 24.03.2006, का आरोप ज्ञापन दिया गया था, जिसमें आरोप का लेख, अनुलग्नक II शामिल था, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप के लेखों (अनुलग्नक I) के समर्थन में कदाचार के आरोपों का बयान था, जबकि वह बोरिंग रोड, शाखा, पटना में तैनात था और अनुलग्नक III, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए दस्तावेज़/गवाह की सूची।

4. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोप पत्र कथित कदाचार को संदर्भित करता है, जबकि याचिकाकर्ता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, पटना की प्रबंध समिति के सदस्यों में से एक था और उक्त सहकारी समिति में उसके द्वारा जुटाई गई सार्वजनिक जमा राशि में से, उसने बैंक जमा राशि को उक्त सहकारी समिति में बदल दिया, जब वह बैंक बोरिंग रोड शाखा, पटना में समय जमा विभाग में काम कर रहा था और उक्त सहकारी समिति से कमीशन अर्जित किया और कुछ उदाहरण (आरोप ज्ञापन का अनुलग्नक II), अलग-अलग तिथियों और अलग-अलग वर्षों के 7 चेक

जारी किए जाने के बारे में कहा जाता है, लेकिन यह याचिकाकर्ता की नियुक्ति से संबंधित नहीं है, जब वह समय जमा के प्रभारी के रूप में काम करता था।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अनुलग्नक 3 के संबंध में याचिकाकर्ता को आरोप पत्र दिए जाने के तुरंत बाद, अलग-अलग राशि की अलग-अलग तारीखों के 7 चेक खाते में जमा किए गए हैं संख्या 5836 (एम) (एक सारिका सिन्हा के साथ याचिकाकर्ता के खाते का विवरण), जिसे रिट याचिका के अनुलग्नक 1 के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि 29.03.2006 पर, याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण, क्षेत्रीय प्रबंधक से अनुरोध किया था कि वह दिनांक 24.03.2006, बैंक आरोप-पत्र के संबंध में निरीक्षण प्रदान करे, जो उसे 27.03.2006 पर दिया गया था ताकि दस्तावेजों के संबंध में अपने बचाव का बिंदु-वार बयान प्रस्तुत किया जा सके, वही सात चेक जो आरोप ज्ञापन के अनुलग्नक II में संदर्भित किए गए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को मूल दस्तावेज से वंचित कर दिया गया था और इसलिए, वह अपना मुद्दा-वार बचाव प्रस्तुत करने के लिए बैंक आरोप पत्र के संबंध में निरीक्षण नहीं कर सका। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने जाँच में भाग लिया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आरोप पत्र को ध्यान में रखते हुए, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को आरोप पत्र दिया गया था, जबकि वह बोरिंग रोड शाखा में तैनात था और आरोप पत्र के अनुलग्नक II में, याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित आरोपों के समर्थन में 7 चेक चित्रित किए गए हैं, जो वर्ष 2003,2004 और 2005 में जारी किए गए थे। उक्त अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता बोरिंग रोड शाखा में काम नहीं कर रहा था। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी जानकारी के समर्थन में कंडिका सं.4 रिट याचिका की इस सीमा तक कि याचिकाकर्ता को हाजीपुर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कृषि सहायक के पद पर 30.12.1978 पर नियुक्त और तैनात किया गया था और कृषि वित्त अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था और साहेबगंज, मुजफ्फरपुर में तैनात किया गया था। याचिकाकर्ता 17.11.2001 पर पी.पी. कॉलोनी

शाखा में शामिल हुआ और 29.12.2004 तक रहा। उन्हें संबंधित बैंक, बोरिंग रोड शाखा में 30.12.2004 पर सहायक शाखा प्रबंधक के रूप में तैनात किया गया था और इस बीच, उन्होंने बोरिंग रोड शाखा में 07.02.2005 से 21.05.2006 तक समय जमा के प्रभारी के रूप में काम किया और उसके बाद, उन्हें रांची स्थानांतरित कर दिया गया।

6. याचिकाकर्ता ने दोहराया कि वह 07.02.2005 से 21.05.2006 तक समय जमा के प्रभारी थे और संदर्भित सभी चेक 07.02.2005 से आगे की अवधि से संबंधित हैं। इन आधारों पर, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोप के समर्थन में सबूत प्रदान नहीं करने के कारण, याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई पूरी विभागीय जांच कानूनी रूप से खराब है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने इस तर्क के समर्थन में कि दस्तावेजों की सूची की गैर-आपूर्ति पूरी विभागीय जांच को दूषित कर देगी, **रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक एंड अन्य, 2009(2) एस.सी.सी. 570,** में रिपोर्ट किया गया मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है विशेष रूप से कंडिका सं.7 के मामले में इस न्यायालय का निर्णय **राजेंद्र प्रसाद साह और ए.एन.आर. बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2018 (3)में** रिपोर्ट किए गए **पीएलजेआर 939,** विशेष रूप से कंडिका सं.5 और उसके 7।

7. *इसके विपरीत,* श्री अजय कुमार सिन्हा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अजीत कुमार सिन्हा के साथ, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एम्प्लॉइज (कंडक्ट) रेगुलेशन, 1976 के रेगुलेशन 3 (1) और 6 (5) के प्रावधान का जिक्र करते हुए, जिसे रेगुलेशन 24 के साथ पढ़ा जाता है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एम्प्लॉइज (डी एंड ए) के रेगुलेशन 4 के तहत जुर्माना आकर्षित करता है। विनियम, 1976 ने प्रस्तुत किया कि आरोप पत्र में आरोप पत्र में कथित आरोप, जैसा कि आरोप पत्र के अनुलग्नक II में उदाहरण दिया गया है, आरोप पत्र का हिस्सा है, यानी कदाचार के आरोपों का बयान और याचिकाकर्ता को केंद्रीय बैंक से कमीशन अर्जित करने के लिए पाया गया है। इंडिया एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड ने उक्त सहकारी समिति में अपने द्वारा जुटाई गई सार्वजनिक जमा राशि में से, बैंक बोरिंग रोड शाखा, पटना में समय जमा विभाग में काम करते हुए बैंक जमा राशि को उक्त सहकारी समिति

को भेज दिया था और अनुलग्नक II के रूप में चित्रण के माध्यम से, कुछ चेक रिकॉर्ड पर लाए गए हैं। याचिकाकर्ता को गवाहों का निरीक्षण करने और उनसे प्रति-परिक्षण करने का बहुत अवसर दिया गया था और याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में या जांच अधिकारी के समक्ष इस बात से इनकार नहीं किया है कि जो चेक पहले खाते में जमा किए गए थे, जैसा कि अनुलग्नक II में उल्लेख किया गया है, वे बोरिंग रोड शाखा में बनाए गए उनके निजी बैंक खाते सं.5836 में जमा नहीं किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में कोई भी इनकार केवल इतना ही होगा कि जब वे सहकारी समिति लिमिटेड की प्रबंध समिति के सदस्य थे, उन्हें लाभ मिला था और जांच के दौरान, वे उक्त तथ्य से इनकार नहीं कर पाए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को दस्तावेजों का निरीक्षण करने का उचित अवसर दिया गया था, जैसा कि उसने चाहा था और याचिकाकर्ता ने कभी भी इस बात पर आपत्ति नहीं जताई थी कि उसे कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया था, जैसा कि उसके द्वारा बिंदु-वार बयान देने के लिए आवश्यक था। जांच रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने प्रश्नावली और उसी को इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया हैः.

"आई.ए. से डी.आर.-क्या आपने उक्त चेक का निरीक्षण किया है?

भी?

डी.आर. से आई.ए.-हाँ, मेरे पास उसी की फोटो प्रतियाँ हैं और मुझे प्राप्त हुई हैं। "

8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि **रूप सिंह नेगी (उपरोक्त)** के मामलों में याचिकाकर्ता ने कानून पर भरोसा किया और **राजेंद्र प्रसाद साह (उपरोक्त)** याचिकाकर्ता की मदद नहीं करेंगे। किसी भी तरह से, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता को उचित अवसर प्रदान किया गया था और जांच के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इस तरह, रिट याचिका के अनुलग्नक 2 में निहित दंड आदेश को दूषित नहीं किया जा सकता है और अपीलीय प्राधिकरण ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित दंड आदेश को भी बरकरार रखा है।

9. पक्षों की ओर से की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के साथ-साथ, दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा दंड आदेशों में इस आधार पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता को आरोप ज्ञापन के साथ दस्तावेजों की सूची में उल्लिखित दस्तावेज और साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए थे और आरोप लगाने के संबंध में सहायक दस्तावेजों के अभाव में, क्या यह याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई पूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई को दूषित करेगा।

10. अभिलेख के विश्लेषण पर, मुझे पता चलता है कि याचिकाकर्ता का याचिकाकर्ता/सिया राम सिन्हा और सारिका सिन्हा के नाम पर एक संयुक्त खाता सं.5836 था, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बोरिंग रोड शाखा, पटना में रखा गया था। मैंने याचिकाकर्ता के संबंध में दिनांक 24.03.2006 की विभागीय जांच कार्यवाही के निष्कर्ष पर विचार किया है, जिसे याचिकाकर्ता की ओर से रिट याचिका के अनुलग्नक 1 के माध्यम से लाया गया है। उक्त निष्कर्ष से, मुझे पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने अपने बचाव में जांच अधिकारी के सामने एक रुख अपनाया था कि केवल एक चेक का चेहरा देखकर, कोई यह नहीं कह सकता कि दराज़ द्वारा इसका उद्देश्य क्या है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संबंध में, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप को अस्वीकार करने के किसी अन्य उद्देश्य के कारण भुगतान को साबित करने के लिए आवश्यक थे, याचिकाकर्ता द्वारा नहीं लाया जा सका, जो उस अवधि के दौरान सहकारी समिति के निदेशक भी थे। जाँच अधिकारी के निष्कर्ष से पता चलता है कि "याचिकाकर्ता (सी.एस.ओ.) का केवल यह तर्क कि उसने कथित अवधि के दौरान शाखा में समय जमा विभाग में काम नहीं किया था, मान्य नहीं है। "इस संबंध में मुझे पता चलता है कि याचिकाकर्ता का बचाव जो जांच अधिकारी द्वारा क्रमशः एम.यू.1 से एम.ई.11 और डी.ई.1 से डी.ई.2 तक दर्ज किया गया है, केवल गवाह की जांच की गई थी और को कोई अवसर नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता स्पष्ट निष्कर्ष को देखते हुए जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त निष्कर्ष पर विचार करते हुए इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं कर

सकता है। इस न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए याचिकाकर्ता ने पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था। याचिकाकर्ता के अनुरोध पर मामले को 06.08.2004 के आदेश के माध्यम से स्थगित कर दिया गया था और याचिकाकर्ता कई स्थगन की मांग करने के बाद 10.09.2024 पर पूरक हलफनामा दायर कर सकता था। हलफनामे में दिए गए बयान के अवलोकन से मुझे पता चलता है कि इस बात से इनकार करने के लिए कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई है कि उनके संयुक्त खाते में राशि हस्तांतरित नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता ने कुछ जानकारी दोहराई है जैसा कि कंडिका सं..2, जो मुझे उसी को पुनः पेश करने के लिए उचित लगता हैः

> *"यह कि पूरक जवाबी हलफनामे के कंडिका संख्या 4 में किए गए दावे झूठे हैं और किसी भी सबूत पर आधारित नहीं हैं, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा अस्वीकार किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता को मेमो सं.10 (निरवा)/2004 दिनांक 17.10.2004 के माध्यम से प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था। याचिकाकर्ता का नाम सीरियल सं.09 में सचिव, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड, पटना की रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है, जिसे 02.10.2007 पर आयोजित आम बैठक के अवसर पर प्रकाशित किया गया है। उक्त रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त निर्वाचित प्रबंधन समिति की अवधि 17.10.2004 से 16.10.2009 होगी।*

11. याचिकाकर्ता ने पूरक हलफनामे के कंडिका सं.3 पर भरोसा किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **2010(2) एससीसी 772 में दर्ज उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा** के मामले में निर्धारित कानून का संदर्भ दिया गया है, विशेष रूप से, इसके कंडिका सं.21 और 24।

12. याचिकाकर्ता ने न तो रिट याचिका में, और न ही पूरक हलफनामे में, या अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष उस तारीख के संबंध में विभागीय पूछताछ में किसी भी स्तर पर जानकारी देने में सक्षम नहीं है, जिस दिन उन्हें संबंधित सहकारी समिति के निदेशकों में से एक के रूप में चुना गया था। संबंधित सहकारी समिति एक सीमित सहकारी समिति है और इसका मूल्यांकन आयकर के तहत किया जाता है, साथ ही यह कंपनी

अधिनियम के तहत पंजीकृत है। याचिकाकर्ता ने कंडिका सं.16 में स्वीकार किया है। रिट याचिका में कहा गया है कि वह संबंधित सहकारी समिति के निदेशकों में से एक थे और याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाया गया आरोप यह है कि उन्होंने कमीशन अर्जित किया था, जबकि वे उक्त सहकारी समिति के निदेशकों में से एक थे। यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता, आज की तारीख में, पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुका है और उसकी पेंशन और अन्य अंतिम लाभ प्रभावित होंगे यदि इस न्यायालय द्वारा दंड आदेश में हस्तक्षेप किया जाता है और इस तरह, मुझे यह उचित लगता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरा आरोप इस तथ्य पर निर्भर करता है कि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि वह संबंधित सीमित सहकारी समिति के निदेशकों में से एक था और इस तरह, उसे विशिष्ट तिथि देने की आवश्यकता है, जिस पर, उन्हें संबंधित सहकारी समिति के निदेशकों में से एक के रूप में चुना या नामित किया गया था।

13. अपने दिनांक 06.08.2024 के आदेश की निरंतरता में, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता को जांच के दौरान किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया गया है। दस्तावेजों को उनके द्वारा निरीक्षण के लिए दिए जाने की इच्छा के अनुसार प्रदान किया गया था और इस बात से कोई इनकार नहीं किया गया है कि किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया था जैसा कि वह चाहते थे। मुझे किसी भी तरह से दंड आदेश में कोई कमजोरी नहीं मिलती है और मैं इस न्यायालय द्वारा किसी भी तरह के हस्तक्षेप का आह्वान करता हूं।

14. तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

15. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

16. यदि कोई अंतरिम आवेदन है, तो उसको भी खारीज कर दिया गया है।

(पूर्णेन्दु सिंह, न्यायमूर्ति)

संजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।